सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख, 1948 (श०)

संख्या - 173 राँची, मंगलवार, 21 अप्रैल, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

17 अप्रैल, 2026

संख्या-11/जनगणना (मार्गदर्शन)-01/2025- 1007/रा०, --भारत सरकार के राजपत्र संख्या-325, दिनांक-22 जनवरी, 2026 द्वारा अधिसूचित गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) का.आ. 353(अ).- केंद्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (iii) तारीख 9 जनवरी, 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 120(अ) तारीख 7 जनवरी, 2020 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, के आलोक में झारखण्ड सरकार भी यह अनुदेश देती है कि सभी जनगणना अधिकारी जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, अपनी नियुक्ति से संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारत की जगनणना 2027 के संबंध में मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे प्रगणित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछें, अर्थात् :-

1. भवन नंबर (नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर)
2. जनगणना मकान नंबर
3. जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
4. जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
5. जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
6. जगनणना मकान के उपयोग
7. जनगणना मकान की हालत
8. परिवार क्रमांक
9. परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
10. परिवार के मुखिया का नाम
11. परिवार के मुखिया का लिंग
12. क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित है
13. मकान स्वामित्व की स्थिति
14. परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या
15. परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्तियों की संख्या
16. पेयजल का मुख्य स्त्रोत
17. पेयजल स्त्रोत की उपलब्धता
18. प्रकाश का मुख्य स्त्रोत
19. शौचालय की सुलभता
20. शौचालय का प्रकार
21. गंदे पानी की निकासी
22. स्नानगृह की उपलब्ध्ता
23. रसोईघर और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता
24. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईधन
25. रेडियों/ट्रांजिस्टर
26. टेलीविजन
27. इंटरनेट सुविधा

28. लैपटॉप/कम्प्यूटर

29. टेलीफोन/मोबाईल फोन/स्मार्ट फोन

30. साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड

31. कार/जीप/वैन

32. परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाले मुख्य अनाज

33. मोबाइल नंबर (केवल जनगणना संबंधी संसूचना के लिए)

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मंजू रानी स्वांसी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 173 - 50